लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष 0755–2583650, फैक्स 2583651, ई–मेल coord-dpi@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 7-2-2017

क्रमांक/समन्वय/समीक्षा बैठक/बी/2016/35

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– दिनांक 30 जनवरी 2017 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

विषयांतर्गत दिनांक **30 जनवरी 2017** को मासिक समीक्षा बैठक प्रातः 10.30 से मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी.नगर भोपाल के सभागार में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0

भोपाल, दिनांक 7-2-201

पृ0क्रमांक/समन्वय/समीक्षा बैठक/बी/2016/36

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक अपर मिशन संचालक, आर0एम0एस0ए0।
6. निज सहायक संचालक द्वय लोक शिक्षण की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक सी.एम.हेल्पलाईन सी–21 मॉल होशंगाबाद रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक,लोक शिक्षण संचालनालय स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0

Manthly baithak

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कार्यवाही विवरण

दिनांक 30 जनवरी, 2017 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक मॉडल स्कूल, टी.टी.नगर भोपाल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक प्रातः 10:30 बजे प्रारम्भ हुई जिसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुये।

सर्वप्रथम श्रीमती अंजू पवन भदोरिया, संचालक लोक शिक्षण द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। सी.एम. हेल्पलाईन से श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते, संचालक उपस्थित हुये। श्री परस्ते द्वारा सी.एम.हैल्पलाईन प्रकरणों पर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने अवगत कराया कि सी.एम.हैल्पलाईन माननीय मुख्यमंत्रीजी की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है जो वर्ष 2014 से प्रारम्भ है जो समस्त विभागों का महत्वपूर्ण ऐजेण्डा है। दिनांक 01.04.2016 से दिसंबर, 2016 तक 45533 शिकायतों का डेटा प्राप्त हुआ है जिसमें 41 प्रतिशत एल–1, 12 प्रतिशत एल–2, 9 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत शिकायतें एल–3 लेवल पर लंबित हैं। संचालनालय लोक शिक्षण स्तर पर सबसे अधिक शिकायतें छात्रों को छात्रवृत्ति से संबंधित है उसके बाद विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन, मानदेय इत्यादि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी शिकायतें भी अधिक हैं।

जिला सिंगरोली, रीवा, भिण्ड में छात्रवृत्ति की शिकायतें एल–1 लेवल पर अधिक प्राप्त होती हैं जिनका निराकरण उसी स्तर पर संभव है। जिला सतना, रीवा, छतरपुर, शिवपुरी, सागर आदि जिलों में अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन/पेंशन आदि के भुगतान न होने संबंधी शिकायतों अधिक संख्या में हैं।

जिला उज्जैन ने सी.एम.हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण प्रदेश में प्रथम स्थान पर किया है । जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन को इस हेतु धन्यवाद। जिला सिंगरौली, रायसेन, रतलाम, श्योपुर, विदिश, देवास, उमारिया, धार, सीहोर द्वारा भी शिकायतों को निराकरण किया गया है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को धन्यवाद। मंडला, अनूपपुर, डिण्डोरी, शहडोल, आगर मालवा, दमोह, बड़वानी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में शिकायतों का निराकरण संतोषजनक नहीं है।

स्कूल शिक्षा विभाग को सी.एम.हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के अनुक्रम में बी ग्रेड में रखा गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से मॉनिट करें तो ए ग्रेड में आ जायेगें। एल–1 स्तर पर शिकायत खोलते ही शिकायतकर्त्ता को एस.एम.एस.प्राप्त होने की सुविधा भी प्रारम्भ हो गई है। जिन्होंने शिकायतों के निराकरण में अच्छी परमार्फ की है वो अपना फोटो भी प्रोफाईल में अपलोड कर सकते हैं। आप सभी निचले स्तर पर शिकायत का परीक्षण कर निराकृत करेंगें तो शिकायत ऊपर लेवल पर नहीं जायेगी। ट्रायवल जिलों में प्राप्त शिकायतों का सम्पूर्ण विवरण संचालनालय के माध्यम से उपलब्ध करायें जिससे प्राप्त शिकायत संबंधित विभाग को भेजी जा सके।

संचालक द्वारा सी.एम.हेल्प लाईन प्रकरणों के निराकरण पर कहा कि हमारे संयुक्त प्रयास से ही विभाग टॉप–10 में आ गया है इस हेतु आप सभी को बधाई के पात्र हैं। सी.एम. हेल्पलाईन प्रकरण मान.मुख्यमंत्रीजी द्वारा सीधे मॉनिट किये जाते हैं अतः आप सभी से अनुरोध है कि जो प्रकरण आपके स्तर से निराकृत हो सकते हैं उन प्रकरणों को सर्तकता एवं गम्भीरता पूर्वक मॉनिट करते हुये निराकरण करें एवं अप्रिय स्थिति निर्मित न हो ऐसे प्रयास करें। ट्रायवल जिलों की प्राप्त शिकायतों की ब्लॉकवार मेंपिंग कर 15 दिवस में संचालनालय में श्री राजेश चौरसिया को प्रेषित करें।

श्री ए.के.त्रिपाठी, सहायक संचालक द्वारा अवगत कराया कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यूजर–आई.डी.पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है किंतु खेद का विषय है कि किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है। इसके पश्चात् श्री त्रिपाठी द्वारा संभाग/जिला वाल लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को न्यायालयीन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कृपया समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में जो शासन स्तर पर निराकरण हेतु प्रेषित करते हैं उनकी एकल नस्ती भी साथ में अपलोड करें जिससे प्रकरण की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। वसूली संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों मे कर्मचारी/अधिकारी के सेवानिवृत्ति के पूर्व ही कार्यवाही करें।

सभी जिलों को एडव्होकेट के शुल्क भुगतान हेतु बंटन जारी किया गया है कृपया समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शुल्क भुगतान करें।

संचालक द्वारा समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरण की सम्पूर्ण नस्ती, याचिका, अभिमत आदि सहित प्रेषित करें जिससे प्रकरण के निराकरण में विलम्ब न हो। समस्त संयुक्त संचालक कृपया न्यायालयीन प्रकरणों की सतत् मॉनिटरिंग करें और जिला शिक्षा अधिकारियों यूजर आई.डी. पर लॉगिन करने हेतु समीक्षा करें। न्यायालयीन प्रकरणों की सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त महोदय द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है कृपया इसे गम्भीरता से लें।

(1) स्थापना 1 – संयुक्त संचालक श्री वर्मा जी द्वारा जिलेवार लंबित विभागीय जांच के प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए। विभागीय जांच के प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए। विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पूर्व से चाही जा रही है जो अनेक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई कृपया वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भिजवायें। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी भी 3 प्रपत्रों में एक सप्ताह में भेजे जाने के निर्देश दिए गए।

मॉडल स्कूलों में प्राचार्यों के स्वीकृत एवं कार्यरत् की जानकारी भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के प्राचार्यों के गोपनीय प्रतिवेदन की जानकारी मार्च 2016 की स्थिति में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(2) स्थापना 2 – व्याख्याताओं के स्वीकृत, कार्यरत् एवं रिक्त पदों की जानकारी भी अपूर्ण प्राप्त हुई है। जिला ग्वालियर, गुना, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, कटनी, छिंदबाड़ा आदि जिलों से जानकारी अद्यतन अप्राप्त है। समस्त जिलों से व्याख्याता, उमावि के कार्यरत् एवं रिक्त पदों की जानकारी भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए। जिलों में व्याख्याताओं के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी चाही गई है। जिला टीकमगढ़, मुरैना, श्योपुर, मुरैना, रीवा, देवास, इन्दौर, एवं मंदसौर से जानकारी अप्राप्त है कृपया जानकारी तत्काल भेजें।

संचालनालय के पत्र दिनांक 08.07.2016 के द्वारा प्रदेश में एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर से संबंधित संख्यात्मक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी जानकारी 8 जिलों से अप्राप्त है। जानकारी शीघ्र भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलों में व्याख्याताओं के संलग्नीकरण समाप्त कर प्रमाण–पत्र चाहा गया था जो अद्यतन अप्राप्त है। व्याख्याता संवर्ग को समयमान वेतनमान का लाभ देने के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 06.01.2016 द्वारा जारी निर्देशों में जिलों के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें।

संचालक द्वारा समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आयुक्त महोदय द्वारा जिन अधिकारियों को विभिन्न मामलों में दंडित किया गया

है। दंडादेश के पालन में संबंधित के सेवा रिकार्ड में दिए गए दण्ड की प्रविष्टी कर जानकारी उपलब्ध करायें।

विधानसभा आश्वासन काफी संख्या में लंबित हैं। कृपया समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकरण करायें जिससे प्राप्त उत्तर विधानसभा को प्रेषित किया जा सके। आगामी विधान सभा सत्र में प्रश्नों के उत्तर समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठता सूचियों में अपडेशन हेतु निर्देश दिए गए हैं कृपया वरिष्ठता सूचियों को अपडेट करें।

अध्यापक संवर्ग के ऑफलाईन अंशदायी पेंशन प्रकरणों को एन.एस.डी.एल.पर मेपिंग हेतु बार–बार निर्देश दिए गए किंतु प्रदेश में अभी तक 142 मामले लंबित है। जिला आगर, अनूपपुर, बालाघाट, भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, छिंदबाड़ा, दमोह, ग्वालियर, कटनी, खरगोन, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन आदि जिलों में प्रकरण लंबित हैं। कृपया समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उच्च प्राथमिकता से अंशदायी पेंशन प्रकरणों की ऑन लाईन प्रविष्टी सुनिश्चित करायें।

(3) स्थापना 3 – श्री नितिन सक्सेना, उप संचालक, द्वारा स्थापना–3 के संबंध में निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गयाः–

कैट की रिपोर्ट में उठाई आपत्ति के अनुक्रम में जिलों में शैक्षणिक संरचना के अनुरूप पदस्थापना करने के संबंध में युक्तियुक्त करण की कार्यवाही की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है शीघ्र भिजवायें। विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षकों की जानकारी शीघ्र भिजवायें। नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिए जाने संबंधी प्रकरणों की जानकारी एवं प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों में संक्षेपिका बनाकर तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलावार शिक्षक संवर्ग के पद की वरिष्ठता सूची व प्रकाशन की जानकारी भी भेजें। वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति आदेश के आधार पर निर्धारित की जावे एवं 2016 की स्थिति में प्रकाशित वरिष्ठता सूची तत्काल भिजवायें। पूर्व में अन्य विभाग में की गई सेवाओं को पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। द्वितीय क्रमोन्नति एवं 22 डी का लाभ संबंधी प्रकरणों के निराकरण तत्काल किए जायें।

(4) स्थापना 4 – संचालक द्वारा निर्देशित किया गया कि बेगा, सहारिया जनजाति के पदों की भरती कर पदस्थापना आदेश जारी किए जाने हैं। कृपया समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चत करें कि पदभार ग्रहण कराते समय उनके मूल दस्तावेजों का भली–भांति परीक्षण करलें जिसमें मूलनिवासी, चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र आदि की पुष्टि कर ली जाये। लिपिक एवं भृत्य संवर्गों की 2016 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी कर जानकारी से अवगत करायें।

श्री राजेश तिवारी, उप संचालक द्वारा समस्त जिलों से सहायक ग्रेड–3 एवं भृत्य के सीधी भरती के रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए। श्री तिवारी द्वारा जिलेवार लंबित विधानसभा आश्वासनों की पूर्ति कर शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जिलों में रिक्त विभिन्न लिपकीय संवर्गों के स्वीकृत/कार्यरत्/रिक्त पदों की प्रवर्गवार जानकारी नाम सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए।

(5) शिक्षाकर्मी – संयुक्त संचालक श्री रिजवी जी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को अंशदायी पेंशन के ऑफलाईन प्रकरणों की जानकारी तत्काल भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यापक संवर्ग के पेंशन प्रकरणों के निराकरण नहीं होने से अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिकता से जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। संचालनालय के

पत्र क्र. 284 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा अध्यापक संवर्ग/संविदा शाला शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी जानकारी चाही गई है कृपया जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजें। अध्यापक संवर्ग के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् लोक सेवकों की जानकारी जिला इन्दौर, झाबुआ, बुरहानपुर, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, सीधी एवं सतना से प्राप्त नहीं हुई है कृपया जानकारी अविलंब भिजवायें। अध्यापक संवर्ग से संबंधित जानकारी एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करायें।

(6) अल्पसंख्यक – प्रदेश में संचालित मदरसों में कार्यरत् शिक्षकों के वेतन की राशि जारी करना है कृपया मदरसों का निरीक्षण कर जानकारी भेजें जिससे अनुदान राशि जारी की जा सके।

(7) भारत स्काऊट एवं गाईड– भारत स्काऊट एवं गाईड के राज्य सचिव श्री प्रकाश बिसोरिया द्वारा समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भारत स्काऊट एवं गाईड के विजन के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के सर्वागीण पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास हेतु स्काउड–गाईड आन्दोलन उपयोगी है। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रदेश की शासकीय/अशासकीय शालाओं का पंजीयन करायें, लंबित पंजियन अंशदान की राशि जमा करायें एवं सदस्यता बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित करने की मांग की गई। उन्होंने अनुरोध किया कि संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के दौरान स्काऊट–गाईड आन्दोलन की गतिविधियों पर चर्चा जरूर करें। संचालक द्वारा सभी को अवगत कराया कि भारत स्काऊट गाईड गतिविधियों का समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ई–मेल कर दिया जायेगा।

(8) अनुदान – अनुदान प्राप्त शालाओं की जानकारी एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुदान राशि का मांग पत्र तत्काल भेजने के भी निर्देश दिए गए। अनुदान संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी संयुक्त संचालक, अनुदान से मॉनिटरिंग कर समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(9) भवन – श्री पी.के.सिंह, सहायक संचालक द्वारा भवन कक्ष से लंबित विधानसभा आश्सवासनों की जिलेवार समीक्षा की गई एवं उनके उत्तर तत्काल भेजने हेतु निर्देशित किया गया। शासकीय शालाओं में अतिक्रमण के संबंध में जिला श्योपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवुपरी, अलीराजपुर, खरगोन, बडवानी, देवास, अनूपपुर, छिन्दवाड़ा सिंगरोली, सीधी, छतरपुर, पन्ना, मंदसौर, आगर मालवा राजगढ़, अशोकनगर, सीहोर, उमरिया, भिण्ड एवं इन्दौर जिलों से जानकारी अद्यतन अप्राप्त हैं कृपया जानकारी तत्काल भिजवायें।

विद्यालयों में विद्युतीकरण के संबंध में जिला बुरहानुपर, दतिया, डिंडोरी, खंडवा, मुरैना, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर आदि जिलों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कृपया जानकारी भिजवायें। जानकारी में अनुमानित व्यय भी प्रस्तावित करें। विद्युत व्यवस्था हेतु पर्याप्त राशि है कृपया दो माह में उक्त राशि का उपयोग सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय/मॉडल स्कूल/विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में सी.सी.टी.व्ही.कैमरे लगाये जाने संबंधी जानकारी जिला अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, भोपाल, दतिया, डिंडोरी, होशंगाबाद, खंडव, पन्ना, रायसेन, सागर, सतना, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया से जानकारी अप्राप्त है। श्री सिंह द्वारा 'जादू नहीं विज्ञान है' कार्यक्रम अच्छे से सम्पन्न कराने पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को धन्यवाद दिया साथ ही इस कार्यक्रम की जानकारी भी गूगल शीट पर अपडेट कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(10) समेकित छात्रवृत्ति – श्री परसाई जी द्वारा अवगत कराया कि छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाती है कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकतो दें। श्री परसाई द्वारा वर्ष 2016–17 में मिशन वन–क्लिक हेतु लगभग 10.00 लाख छात्रों के खातों में त्रुटि होने से छात्रवृत्ति वितरण नहीं हो पाया है। लगभग 4 लाख खातों में मैंपिंग नहीं होने पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को मैपिंग शीघ्र दो दिवस में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलेवार समीक्षा कर मेंपिंग, प्रोफाईल अपडेशन का कार्य दो दिवस में किए जाने के निर्देश दिए गए। भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल की स्वीकृत छात्रवृत्ति का वितरण भी संकुल प्राचार्यों के माध्यम से शीघ्र करायें।

ए.पी.जे.अब्दुल कलॉम छात्रवृत्ति का वर्ष 2015–16 का वितरण नहीं हुआ है तत्काल वितरण कराने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का परीक्षण प्रतिवेदन भी निर्धारित प्रपत्र में भेजने हेतु निर्देश दिए गए। योजना क्रमांक 3.3 यह वर्ष 2013–14 की जानकारी से संबंधित है कृपया जानकारी उपलब्ध करायें। योजना क्रमांक 3.3.1 में वर्ष 2014–15 की छात्रवृत्ति से संबंधित है परीक्षण कर जानकारी भेजें। वर्ष 2015–16 में प्रशासकीय व्यय की जानकारी भी शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जानकारी त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है कृपया त्रुटि सुधार कर तत्काल भेजें। वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 की छात्रवृत्ति से आधार लिंक कर अद्यतन डेटा प्राप्त नहीं है कृपया निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करायें। इकलोती बेटी शिक्षा विकास छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल पर सुविधा है सभी जिला शिक्षा अधिकारी इस पर ध्यान दें। प्रदेश में सायकिल वितरण की समीक्षा भी की गई। सायकिलों का सत्यापन कर शीघ्र वितरण किये जाने के निर्देश दिए गए।

श्री रविकांत जैन द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को भवन निर्माण के संबंध में कार्य की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग किये जाने के हेतु कहा गया। उन्होंने अवगत कराया कि 484 नवीन हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु दिये गये है जिसमें पी.आई.यू.द्वारा 147 भवनों की भूमि नहीं होने संबंधी रिपोर्ट दी है। कृपया सभी जिला शिक्षा अधिकारी भूमि का चिन्हांकन कर अवगत करायें। स्वीकृत भवन निर्माण के कार्य प्रारम्भ होने संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करायें। इसी प्रकार 14 कन्या छात्रावासों के निर्माण की प्रगति से भी अवगत करायें।

श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक द्वारा प्रदेश में संचालित निदानात्मक कक्षाओं के संबंध में श्री घनश्याम सोनी, सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के सुझाव एवं उनके द्वारा निरीक्षण की गई शालाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। श्री सोनी द्वारा अवगत कराया कि मेरे द्वारा लगभग 50–60 विद्यालयों में संचालित निदानात्मक कक्षाओं का निरीक्षण किया गया और उसमें मुझे कुछ आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में उनके द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

श्री चतुर्वेदी जी द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन की महत्वूपर्ण योजनाओं को लागू करने के साथ–साथ विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। कृपया समस्त अधिकारीगण छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत रूचि लें और शिक्षा के स्तर में सुधार लायें। समाज का मूल्यांकन उच्च शिक्षित समाज से होता है।

श्री चतुर्वेदी जी द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों की मान्यता के संबंध में नवीन मान्यता नियमों के जारी होने के उपरांत यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।

(11) शारीरिक शिक्षा – प्रदेश के समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदानों एवं संचालित खेलों की जानकारी प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में चाही गई थी जो अद्यतन अप्राप्त है। जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त जानकारी अपूर्ण है। कृपया जानकारी शीघ्र भेजें। जिला शिक्षा अधिकारियों को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि का बंटन जारी कर दिया गया है बंटन का आहरण कर संबंधित खिलाड़ियों को उपलब्ध करायें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें। वर्ष 2015–16 में खेल गतिविधियों हेतु बंटन जारी किया गया है। आवंटन के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अनेक जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है तत्काल भिजवायें। प्री–नेशनल कैम्प एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोंगिताओं हेतु बंटन जारी किया गया है कृपया उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें। विभिन्न राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजे जाने वाले दल प्रबंधक एवं कोच को बार–बार नहीं भेजा जाये इस हेतु एक समग्र योजना तैयार की जाये।

व्यायाम शिक्षकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/राष्ट्रीय स्तर के खेल स्पर्धाओं की जानकारी उपलब्ध करायें। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु खेल सामग्री की जानकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालकों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए। सी.बी.एस.ई./नवोदय विद्यालय/विद्या भारती की प्रतियोगिताओं में हमारे छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता है इस संबंध में समस्त संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों से सुझाव मांगे गये हैं। संचालक द्वारा सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि खेल गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं सुधार हेतु एक खेल नीति तैयार की जाये। इसमें कम से कम 10 से 15 अधिकारियों की समिति बनायी जाकर निर्णय लिया जाये एवं सभी से पत्र के माध्यम से खेल नीति हेतु सुझाव प्राप्त किये जायें।

संचालक द्वारा सभी अधिकारियों को दिनांक 02 से 04 अप्रेल, 2017 को आयोजित होने वाली एशियन हॉकी टूर्नामेंट के संबंध में अपेक्षा की है कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है कृपया आप सभी सहयोग एवं उचित सुझाव उपलब्ध करायें।

आयुक्त महोदय द्वारा समग्र छात्रवृत्ति के संबंध में समस्त संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया कि प्रदेश के लगभग 82 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है जिसमें से 62 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति जारी हो पायी है। लगभग 10 लाख छात्रों के बैंक खातों का सत्यापन अथवा अन्य त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति जारी नहीं हो पाई है। आप सभी को इन 10 लाख छात्रों की जानकारी की सूची भेजी जा रही है कृपया आप सभी इसका परीक्षण कर त्रुटि सुधार कर छात्रवृत्ति वितरण में सहयोग करें। यह प्रक्रिया अधिक समय तक जारी नहीं रखी जा सकती है छात्रवृत्ति तत्काल वितरित करायें।

आयुक्त महोदय द्वारा सी.एम.हेल्पलाईन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर श्री संजय गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन को बधाई दी तथा समस्त संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा

अधिकारियों को सी.एम.हेल्पलाईन की सतत् मॉनिटरिंग हेतु निर्देश दिए गए क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह में मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग की समीक्षा संभावित है।

आयुक्त महोदय द्वारा दूसरे अहम मुद्दा छात्रों को सायकिल वितरण का बताया। उन्होंने अवगत कराया कि सायकिल वितरण हेतु सभी प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है कृपया सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने–अपने जिलों में सायकिल वितरण तत्काल करायें। साथ ही राज्य शासन द्वारा आगामी वर्षों में सायकिल वितरण योजना में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है अतः आप सभी तैयार रहें। शासन द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मजरा, टोला एवं मॉडल स्कूल आदि में अध्ययनरत् छात्रों को भी सायकिल प्रदाय किये जाने की योजना प्रारम्भ की जायेगी। खेलकूद गतिविधियों पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जारी बंटन का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र संचालनालय को उपलब्ध करायें एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिए गए किसी भी अग्रिम राशि का समायोजन कराया जाना प्राथमिकता पर रखें।

अतिथि शिक्षक किस शाला में और कितने दिवस से कार्य कर रहे हैं इसकी जानकारी भी शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए। संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारम्भ होने वाली है इस हेतु भी अपेक्षित तैयारियां कर ली जायें। एक शाला एक परिसर की चाही गई जानकारी में कुछ परिवर्तन किया है कृपया परिवर्तित अतिरिक्त जानकारी समस्त संयुक्त संचालको द्वारा संकलित कर जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी भी संयुक्त संचालको द्वारा मॉनिटरिंग कर वरिष्ठता अनुसार उपलब्ध करायें।

आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया कि प्रत्येक उत्कृष्ट विद्यालय के साथ एक 200 सीटर छात्रावास बनाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। जिलास्तर/ब्लॉक स्तर के मॉडल स्कूलों में भी छात्रावास निर्माण किया जाना है अतः आप सभी छात्रावासों हेतु विद्यालय के निकट के स्थान का चिन्हांकन सुनिश्चित कर लें। साथ ही आगामी वित्तीय सत्र में अतिथि शिक्षकों का मानदेय पृथक बजट मद से उपलब्ध कराया जायेगा इस संबंध में भी अवगत कराया ।

विद्यालयों में संसाधनों हेतु राज्य शासन द्वारा काफी बजट स्वीकृत किया है। इस हेतु आप सभी अपने सुझाव/प्रस्ताव प्रस्तुत करें। न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवंटित यूजर आई डी के माध्यम से प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर निराकरण करें। संचालनालय अथवा शासन स्तर से निराकृत होने वाले न्यायालयीन प्रकरणों को शीघ्र प्रस्तुत करें। उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं में छात्रों के प्रवेश हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जाने के निर्देश दिए गए।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी बैठक में परिपत्रों/प्रक्रियाओं को परखने एवं उन पर त्वरित कार्यवाही संबंधी एक अनुभवजनित परीक्षा की व्यवस्था रखी गई है। कृपया कार्य प्रणाली में सुधार हेतु इस परीक्षा में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना है। साथ ही दिनांक 06 से 08 फरवरी, 2017 तक समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यालय द्वारा एक प्रशिक्षण रखा गया है कृपया उक्त प्रशिक्षण में सभी अधिकारीगण अनिवार्यतः उपस्थित रहें।

अध्यापकों के छठवें वेतनमान में आ रही दिक्कतों के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जिला अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय से अध्यापकों के वेतन निर्धारण की पुष्टि करायें तदोपरांत ही उनका वेतन निर्धारण सुनिश्चित करें। **जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आयुक्त महोदय को अवगत कराया कि स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को वित्त अथवा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के वेतन निर्धारण के परीक्षण किये जाने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं है कृपया वित्त विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का अनुरोध है।**

गैर शिक्षिकीय कार्यों में संलग्न शिक्षकीय अमले को विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य कराये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के समय अन्य विभागों में संलग्न शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से विद्यालय में उपस्थित कराया जाये अन्यथा की स्थिति में संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को उनके वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने के निर्देश जारी किए जायें।

बैठक के अंत में संचालक महोदय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने पर धन्यवाद व्यक्त किया और बैठक में की गई समीक्षा की जानकारी प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

धन्यवाद ।

(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश